न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20 / 2016 (राजसमन्द आर्डर)

श्रीमती किरण पत्नी हीरालाल जी जाट, निवासी काबरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बाली बेवा स्वर्गीय वरदा उर्फ वरदीचन्द जी जाट, निवासी लेहावन (लसडावन), तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (फोत) नाम तर्क
2. हरकचन्द जी जाट पिता स्वर्गीय वरदा उर्फ वरदीचन्द जी जाट, निवासी लेहावन (लसडावन), तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. शंकरलाल पिता रतनलाल जी जाट, निवासी काबरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. गोवर्धन पिता रतनलाल जी जाट, निवासी काबरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 08.11.2016 प्र॰सं॰ 582 / 16

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अक्षय पालीवाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय **दिनांक 18–12–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया / अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका दावा पुनः नंबर पर लिया जावे तथा प्रार्थीया ने निवेदन किया कि उसने स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद सन् 2007 में आप न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके मूल नंबर 110/2007 थे जो बदलकर 382/2010 हुए। उक्त वाद में आप न्यायालय ने दिनांक 29–04–2013 को आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने निगरानी राजस्व मण्डल में पेश की, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 16–05–2013 को यह आदेश पारित किया गया कि यह निगरानी श्री सम्पतलाल बोहरा एडवोकेट द्वारा मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश हुई। निगरानी बाद जांच पेश हुई। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थी वकील को निगरानी के एडमिशन व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। निगरानी में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से विचारार्थ ग्रहण की जाती है। अप्रार्थी को नोटिस जारी हो। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल ने स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया कि उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा के आदेश दिनांक 29–04–2013 में की जाने वाली कार्यवाही आगामी सुनवाई तक स्थगित की जाती है। स्टे के नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 16–08–2013 को मुकाम उदयपुर में पेश हो।

उक्त आदेश की नकल प्रार्थी द्वारा दिनांक 06–06–2013 को न्यायालय में लाकर दी गयी एवं रसीद भी प्राप्त की। इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा छाप लगाकर पेशियां देते रहे तथा जानबूझकर दो वर्षो तक पत्रावली राजस्व मण्डल को प्रेषित नहीं की गयी। कथित स्थगन आदेश का हवाला जानबूझकर पत्रावली पर नहीं दिया गया तथा उसके बाद कार्यवाही बन्द कर दी गयी तथा फिर अचानक दिनांक 20–03–2014 को पूर्व आदेश की पालना में पेशियां दी जाती रही जो दिनांक 16–06–2015 तक दी जाती रही। दिनांक 16–06–2015 को पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 20–08–2015 को पेश होने को लिखा गया परन्तु बाद में उसे काटकर 20 को 24 बनाने की कोशिश की गयी तथा दिनांक 24–08–205 को यह लिख दिया कि पत्रावली पेश हुई। वादिया एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। बार–बार आवाजें दिलायी गयी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। वादिया का वाद पेशी के अभाव में अदम पैरवी, अदम हाजरी, अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। आप न्यायालय द्वारा जानबूझकर माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की अवहेलना की गयी है जिसके लिए प्रार्थी/वादी कम्टेम्पट की कार्यवाही अलग से

राजस्व मण्डल में पेश करेगा। मूल वाद में ताफैसला वाद वादी के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी था कि रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। कथित वाद अदम हाजरी में खारिज होने का ज्ञान प्रार्थी को नहीं था तथा पहली बाद दिनांक 13–10–2016 को इसका ज्ञान तब हुआ जब विपक्षीगण के वकील साहब ने राजस्व मण्डल में बताया कि मूलवाद उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से खारिज हो गया है तो निगरानी नहीं चल सकती है इस कारण निगरानी खारिज की जावे। इस पर प्रार्थी के वकील साहब ने फोन पर पूछा तो उन्होंने बताया कि मूलवाद तो खारिज नहीं हुआ है तथा पत्रावली राजस्व मण्डल में भेज दी गयी है तो प्रार्थी ने तुरन्त माननीय राजस्व मण्डल में पता किया तथा उसी समय उपखण्ड अधिकारी के फर्द अहकाम की नकलें लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकलें मिलते ही तुरन्त वाद को नम्बर पर लेने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। वादी इस विश्वास में था कि उन्होंने स्थगन पेश कर दिया है तथा पत्रावली तुरन्त राजस्व मण्डल में भेज दी जायेगी इस कारण प्रार्थी को भी यहीं बताया गया कि आपको पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे व पत्रावली राजस्व मण्डल में शीघ्र भेज देंगे। विपक्षीगण विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर तुले हुए हैं इसलिए दावे को पुनः नंबर पर न्यायहित में लिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा मयाद कण्डोन का आवेदन भी पेश किया गया।

प्रकरण में उक्त आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 07–11–2016 को पेश किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 08–11–2016 को अपनी फर्द अहकाम में यह अंकित किया कि चूंकि मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तलब किये जाने पर दिनांक 15–03–2016 को भिजवाई जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 9 के प्रार्थना पत्र को सुना जाना अथवा कोई कार्यवाही किया जाना इस न्यायालय के स्तर पर मुमकिन नहीं है। अतः आदेश 9 नियम 9 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 08–11–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 22–11–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से उनका नाम तर्क किया गया। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा राजस्व मण्डल की दस्ती दिनांक 17–05–2013 के अनुसार प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 16–05–2013 के आदेश की प्रति भिजवाई गयी है, उक्त आदेश के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 382/2010 में पारित निर्णय दिनांक 29–04–2013 को स्थगित करते हुए पत्रावली तलब किये जाने का आदेश माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 16–05–2013 को दिया गया है, जिसका रूक्का अधिनस्थ न्यायालय को दिनांक 06–06–2013 को प्राप्त हो चुका है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–06–2013 को राजस्व मण्डल का आदेश प्राप्त होने के बावजूद पत्रावली राजस्व मण्डल में नहीं भिजवायी गयी है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20–03–2014 से दिनांक 24–08–2015 तक लम्बित रहा है। प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि जब पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल द्वारा तलब कर ली गयी है तो उसे अधिनस्थ न्यायालय में विधिक रूप से पेश होने की आवश्यकता ही नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल की पत्रावली तलब किये जाने की सूचना दिनांक 06–06–2013 को प्राप्त हो जाने के बावजूद 2 वर्षो तक नहीं भेजी गयी है एवं निगरानी के बावजूद आवेदन अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है, जो निसंदेह विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है तथा प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा वर्णित परिस्थितियों अनुसार उसे वाद खारिज किये जाने की जानकारी

होने का कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाहित में आवेदन स्वीकार कर वाद को पुनः नंबर पर लिया जाना वांछनीय था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–11–2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट/प्रार्थीया का वाद पुनः नंबर पर लेकर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेशों के अध्यधीन वाद में अग्रिम कार्यवाही करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–12–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर